

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1067 / 2006 / भरतपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, भरतपुर।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

मैसर्स प्रहलाद कुमार महेश चन्द, बयाना, भरतपुर।

.....प्रत्यर्थी।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री विनय गोयल,
अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 21.01.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2005 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 360/उपा-भरत/2003-04/आर.एस.टी. के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (The Rajasthan Tax On Entry of goods Into Local Areas Act, 1999) (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 35 के तहत आरोपित की गयी कर ₹3,430/- व शास्ति ₹5,000/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 25.08.2003 को वाहन संख्या आर.जे.25/जी-0851 को भरतपुर से बयाना रोड पर सेवर के समीप जांच हेतु रोका गया । वाहन में परिवहनीत माल "चीनी 160 क्विंटल" जो कि खतौली से बयाना के लिये परिवहनीत की जा रही थी, के संबंध में दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक उमराव सिंह ने मैसर्स बालाजी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, खतौली की बिल्टी क्रमांक 1820 दिनांक 23.08.2003, प्रेषक मैसर्स टिकौला शुगर वर्क्स, टिकौला, उत्तर प्रदेश, प्रेषिति प्रत्यर्थी व्यवहारी, प्रेषक मैसर्स टिकौला शुगर वर्क्स, टिकौला, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी इन्वॉयस क्रमांक 01010/2349 दिनांक 23.08.2003 जिसमें प्रेषिति मैसर्स प्रहलाद चन्द महेश कुमार, बयाना दर्ज है प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी

लगातार.....2

सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तोवजों की जांच कर यह पाया कि वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत बिल्टी व प्रेषक व्यवहारी द्वारा जारी इन्वॉयस में प्रेषिति व्यवहारी भिन्न-भिन्न हैं एवम् जारी इन्वॉयस में टिन व ई.टी.एल.ए कमांक भी अंकित नहीं है। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने जांच कर, यह भी पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2002-03 हेतु कम्पोजिशन फीस का चालान प्रस्तुत किया गया है परन्तु वर्ष 2003-04 हेतु कम्पोजिशन फीस का चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में ई.टी.एल.ए. मद में किसी प्रकार की कोई अग्रिम राशि भी जमा नहीं करवायी गयी है। अतः परिवहनीत माल को करापवंचन के उद्देश्य से राज्य में आयात किया जाना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 35[2(C)] के तहत कर व शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। जिसे अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, शास्ति आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने इस संबंध में यह अपील प्रस्तुत कर, अपीलीय आदेश को चुनौती दी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत नहीं है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में कर अधिनियम की धारा 35[2(C)] के प्रावधानों का उल्लंघन होना प्रकट है। फलस्वरूप, कर व शास्ति आरोपित करना पूर्णतः विधिअनुकूल है। लिहाजा, अपीलीय आदेश अभिखण्डित किया जाकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. अप्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रथम प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कथन किया कि माननीय कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत अपील म्याद बाहर है तथा इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 24(1) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने के लिये सक्षम अधिकारी के लिये अवधि 60 दिन की विहित की गयी है। हस्तगत

अपील संख्या - 1067/2006/भरतपुर
प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय की तिथि 09.08.2005 है, जो अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को दिनांक 19.11.2005 को प्राप्त हो गया था, जबकि अपील दिनांक 15.05.2006 को प्रस्तुत की गई है, जो स्पष्टतः म्याद बाहर प्रस्तुत की गयी है। इस संबंध में देरी क्षमा करने का कोई प्रार्थना पत्र भी राजस्व की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही ऐसा कोई कारण बताया गया है कि इतनी देरी क्यों हुयी ? इस संबंध में द्वितीय प्रारम्भिक आपत्ति यह उठायी है कि अधिनियम की धारा-24(3) के प्रावधानानुसार अपील विहित प्ररूप में ही प्रस्तुत की जा सकती है तथा राजस्थान माल प्रवेश पर कर नियमों, 1999 के नियम-16 के अनुसार प्रवेश कर से सम्बन्धित अपील, प्ररूप ई.टी.एल.ए.-15 में ही प्रस्तुत किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में जो अपील प्रस्तुत की गयी है, वह राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के तहत विहित प्ररूप वैट-9 में प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में, विहित प्ररूप में अपील प्रस्तुत नहीं होने के कारण, प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरौही बनाम मैसर्स विरेन्द्र उद्योग, सिरौही, 14 टैक्स अपडेट 36 [आर.टी.बी.(एस.बी)] को प्रोद्धरित कर, उक्त में प्रतिपादित विधि के आलोक में, उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्तियों के प्रकाश में, प्रस्तुत अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

6. गुणावगुण पर तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का टिन 08120750830 व ई.टी.एल.ए क्रमांक 0556/1241 है जिसके संबंध में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को अवगत करवा दिया गया था। कथन किया कि निर्धारण वर्ष 2002-03 से संबंधित कम्पोजिशन फीस ₹18,400/- के जमा के चालान भी प्रस्तुत कर दिये गये थे। जहां तक प्रवेश कर का प्रश्न है, कथन किया कि गत वर्ष में अधिक प्रवेश कर जमा करवाये जाने के कारण उक्त का समायोजन चाहने के कारण जमा नहीं करवाया गया था। इसके अतिरिक्त कथन किया कि जहां तक नाम में अंतर कर प्रश्न है, उक्त एक मानवीय भूल है जिसके कारण मांग राशियां कायम करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः गुणावगुण पर अपील अस्वीकार किये जाने का तर्क दिया गया।


8. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 24(1) के प्रावधानों के प्रकाश में, अपील विहित समयावधि 60 दिवस में प्रस्तुत नहीं की गयी है जैसाकि प्रावधानानुसार उक्त अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को अपीलीय आदेश के सूचित होने यानि

अपील संख्या - 1067/2006/भरतपुर

दिनांक 19.11.2005 से 60 दिवस में प्रस्तुत होनी चाहिये थी जबकि इसे दिनांक 15.05.2006 को प्रस्तुत किया गया है । देरी क्षमा करने हेतु भी कोई प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया जाना प्रकट नहीं है । अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रथम प्रारम्भिक आपत्ति बलयुक्त है । इसी प्रकार उठायी गयी द्वितीय प्रारम्भिक आपत्ति के संबंध में भी रिकॉर्ड के अनुशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत अपील राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के अन्तर्गत विहित प्ररूप वैट-29 में प्रस्तुत कीगयी है जबकि उक्त अधिनियम की धारा 24(3) के प्रावधानों के प्रकाश में, विहित प्ररूप ई.टी.एल.ए. 15 में प्रस्तुत किया जाना बाध्यकारी है । अतः अपील के विहित प्ररूप में प्रस्तुत करने के अभाव में प्रस्तुत अपील विधिक नहीं है । लिहाजा, उठायी गयी द्वितीय प्रारम्भिक आपत्ति भी बलयुक्त है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि गुणावगुण पर भी अपीलीय अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण के संबंध में किये गये विश्लेषण विधिसम्मत एवम् उचित हैं। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों व जवाब के दृष्टिगत कर व शास्ति आरोपण को उचित रूप से अनुचित होना अवधारित किया गया है । अतः दोनों प्रारम्भिक आपत्तियों के प्रकाश में, प्रस्तुत अपील विधिअनुकूल नहीं होने के कारण तथा गुणावगुण के अन्य बिन्दुओं पर विचार कर, प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है ।

9. परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है ।

8. निर्णय सुनाया गया ।


21-1-2014
(मदन लाल)
सदस्य